न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
161 / 2022	23.12.2022	04.01.2023

अनवान

1. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–अप्रार्थी

<u>–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0एक्ट::–</u>

<u>–:: निर्णय ::–</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0एक्ट के सरपंच जरिये ग्राम पंचायत रोलिया के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुमानपुरा में लगभग 20 वर्ष पूर्व आराजी सं0 390 में से रकबा 0.81 है0 चारागाह दर्ज किया गया था। परन्तु मौके पर नपती में चारागाह में अधिक भूमि दर्ज बतायी जा रही है। जबकि रेकार्ड में चारागाह भूमि 0.81 है0 रही है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त तरमीम को सही करवाने की कृपा करावें। रिपोर्ट पटवार हल्का रोलिया से प्राप्त होकर निम्नानुसार है कि मौजा गुमानपुरा की आ0 सं0 551/390 जिसका रकबा 0.81 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, परन्तु नक्शें में 1.09 है0 दर्ज है। उक्त 0.28 है0 अधिक रकबा आबादी आराजी संख्या 390 का है। आराजी सं0 390 का रकबा 2.46 है0 दर्ज रेकार्ड है, परन्तु नक्शें में 2.18 है0 ही है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोकार सरकार तहसीलदार कपासन को जरिये सम्मन तलब किया। तहसीलदार कपासन ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्रकरण स्वीकार किया जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में नामान्तरण संख्या 43 दिनांक 27.03.2003 का अवलोकन किया। उक्त नामान्तरण में आराजी संख्या 390 का रकबा 2.46 हैक्ट0 किस्म आबादी व 0.81 है0 किस्म चारागाह का नामान्तरकरण जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के आदेश से हुआ। जिसमें तरमीम शुद्ध थी। उक्त तरमीम वक्त सेग्रिगेशन अशुद्ध होना पाया गया। सम्पूर्ण पत्रावली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रकरण को स्वीकार किया जाने मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर संलग्न नक्शा ट्रेस दिनांक 11.10.2022 में प्रस्तावित तरमीम अनुसार आराजी संख्या 551/390 के नक्शें में दर्ज रकबा 1.09 है0 के बजाय 0.81 तरमीम की जाकर रकबा 0.28 हैक्ट0 आराजी संख्या 390 में जोडे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। नक्शा ट्रेस की एक प्रति के मय निर्णय की प्रति के तहसीलदार कपासन को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद बाबत् भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कपासन